RTE APPLICATION FORM

Instruction to fill the form फार्म भरने का नर्दशे

1. The information mentioned below is only for general guidance and should not be treated as legal document. It could be changed/ modified from time to time by Competent Authority.

नींचे उल्लिल्लित जानकारी के वल सामान्य मार्गदर्गन के ललए है और इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीीं माना जाना चालहए। इसे सक्षमप्रालिकारी द्वारा समय-समय पर बदला/सींरेोलित लक्या जा सकता है।

2. Application for the Registration of students for the admission in Private Schools for session 2024-2025 for socially and economically weaker sections.

ननजी निद्यालय ों र्े ं स्त्र 2024-2025 र्े ं अनुसूनित जानत, अनुसूनित जनजानत िएों अन्य निछडा िर्म (नॉन क्रीर्ीलेयर) िऐों अन्ध्रम्करू ि से कर्ज र िर्म के प्रिश हेतु

छात्रछात्राओों के िोंजीयन हेतु आिर्दन ित्र।

Start Date of Filling Application Online: 20th January 2024.

ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारींभ लतलि: 20 जनवरी 2024

Last Date of Filling Application Online: 20th February 2024.

ऑनलाइन आवेदन भरने की ओंलतम लतिल: 20 फरवरी 2024

3. In order to ensure smooth and quick filling of the application form, please keep the following ready. आवेदन फॉम्ग को आसानी से और जल्दी भरना सुलनलित करने के ललए, कृ पया लम्झलल्लित को तैयार रिं।

- 1. A valid mobile number with Indian SIM card. Further all the information regarding your application will be sent by SMS to the mobile number provided during registration. You are strongly advised to register your own mobile number (with Indian SIM card) and not that of relatives, friends, agents, cyber-cafe operators or others.
 भारतीय लसम कार्ग के साि एक वैि मोबाइल नींबर। आवेदन से सींबींलित सभी जानकारी पींजीकरण के दौरान ल्यूए ए मोबाइल नींबर पर एसएमएस द्वारा भेजी जाएर्ी। आपको दृढ़ता से सलाह दी जाती है ल्क्न आप अपना मोबाइल नींबर (भारतीय लसम कार्ग के साि) पींजीकृत कराएीं न ल्क्नरश्तेदारीं, दोस्तीं, एजेंटीं, साइबर-के फसींचालकों या अन्य का पींजीकृत कराएीं।,
- 2. A digital photograph or scanned photograph of the child seeking admission (JPEG file of size at most 500KB), प्रवेर् चाहने वाले बच्चे की एक लर्लजटल तस्वीर या स्कै न की ई तस्वीर (अलिकतम 500KB आकार की JPEG फाइल),
- 3. Details of Aadhaar Card of Father and Mother. In case if child is residing at any other place in kodarma then the guardian Aadhaar Number is also needed. लपता और माता के आिर कार्ग का लववरण। यलद बच्चा बोकारो में लकसी अन्य स्िान पर रह रहा है तो अलभभावक का आिर नींबर भी आवश्यक है।
- 4. Once an application form has been submitted and Application Submission Code generated, the submitted application form cannot be edited.

एक बार एक आवेदन पत्रजमा कर लदया र्या है और आवेदन जमा कोर् उत्पन्नहो र्या है, जमा लक्ष्पर्ए आवेदन पत्रको सींपालदत नहीं लक्ष्या जा सकता है।

5. The students must be residents of kodarma District. छात्रीों को बोकारो लजले का लनवासी होना चालहए।

6. DOCUMENTS NEEDED/आश्यक र्दस्तािेज:

प्रालिकारी।

Following are the list of documents must be submitted online. लम्झलल्लित दस्तावेजीं को ऑनलाइन जमा करना अलनवाया है।

- 1. Certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation / extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel. The original certificate of date of birth should be produced before the School at the time of admission. This will be returned to the parent after verification by the School.

 जन्म पींजीकरण के ललए सक्षमप्रालिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु
 - जन्म पींजीकरण के ललए सक्षम प्रालिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आयु के प्रमाण का प्रमाण पत्र। इसमें अलिसूलचत क्षेत्रपररषद/नर्र पाललका/नर्र लनर्म से प्रमाणपत्रग्राम पींचायत, सैन्य अस्पताल के ररकॉर्ग से जन्म लति के बारे में उद्धरण और स्क्षाकलमाधीों के सेवा ररकॉर्ग र्ालमल हींर्े। प्रवेर् के समय जन्म लतिल का मूल प्रमाण पत्र स्कूल के समक्ष प्रस्तुत लक्षया जाना चालहए। स्कूल द्वारा सत्यापन के बाद यह माता-लपता को वापस कर लदया जाएर्ा।
- Aadhaar Card of Father and Mother. Guardian Aadhaar Card is mandatory if Mother and Father are not alive or Child reside at any other place. लपता और माता का आिर कार्ग। यलद माता और लपता जीलवत नहीं हैं या बच्चा लकसी अन्य स्िान पर रहता है तो अलभभावक का आिर कार्ग अलनवाया है।
- 3. ST/SC/OBC (NCL)/EWS/BPL Certificate, a certificate stating that the child belongs to the Scheduled Tribe /Scheduled Caste / EWS / OBC (Non-Creamy Layer) / EWS / BPL category (as applicable), issued by the competent authority in concerned State Government / Union Government.

 अनुसूलचत जालत / अनुसूलचत जनजालत / अन्य लपछडा वर्ग (एनसीएल) / ईब्र्ल्यूएस / बीपीएल प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र लजसमें कहा र्या है लक्ष बच्चा अनुसूलचत जालत / अनुसूलचत जनजालत / श्रेणी (जैसा लार्ू हो) से सींबीलित है। सींबीलित राज्य सरकार / कें द्रसरकार में सक्षम
- Income certificate must be less than 72000 and issued not earlier than August 2023 by the authority.
 आय प्रमाण पत्र 72000 से कम होना चालहए और प्रालिकरण द्वारा अर्स्त 2023 से पहले जारी नहीं लक्या जाना चालहए।
- 5. Incase if child is residing to any blood relatives house, Electricity Bill, Gas Bill, Bank Passbook or Driving Licence on the name of guardian must be submitted. यत्तद बच्चा लकसी खत सींबींिी के घर में रह रहा है, तो लबजली लबल, र्ैस लबल, बैंक पासबुक या अलभभावक के नाम पर र्राइलवींर् लाइसेंस जमा करना होर्ा।

- 6. Residential Certificate issued by the authority. प्रालिकरण द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र।
- Voter Id card is not necessary but required only for verification of the students residence place. वोटर आईर्ी कार्ग अलम्बाया नहीीं है, लेलकन छन्न के लनवास स्िान की पुलि के ललए आवश्यक है।

Note: Uploaded documents like caste, residence must be of father / mother / guardian (if both father and mother is not alive)

नोट: आवेदन लक्ष्ए ए दस्तावेज़ जैसे की जालत, लनवास, लपता / मीं / अलभभावक के होने चालहए (यलद लपता और मीं दोनोीं ही जीलवत नहीं हैं)।

7. **AGE LIMIT/आयु सीर्ा:** The age limit for Pre-Nursery is 3 years to maximum 4 years, for LKG/Nursery the age is 3 years 6 months to maximum 4 years 6 months and for Class 1 the age limit is 5 years 6 months to 7 years as on 31st March 2024.

प्री-नसरीग के ललए आयु सीमा 3 व्या से अलिकतम 4 व्या है, एलके जी/नसरीग के ललए आयु 3 व्या

6 महीने से अलिकतम 4 व्या6 महीने है, और कक्षा 1 के ल्लए आयु सीमा 5 व्या6 महीने से अलिकतम 7 व्याहै, 31 मावग 2024 को। कम दूरी के छात्रीों को उच्चतम प्रािलमकता दी

8. **DIS** ANCE LIMIT/ दूं री की सीर्ा: The distance between the residence of student and school should be less than or equal to 7kms. Students with lesser distance will be given higher priority.

छन्न के लनवास और स्कू ल के बीच की दूरी सात लकलोमीटर से कम या बराबर होनी चालहए। लजन छात्रों की दूरी कम होर्ी, उन्हें अलिकतम प्रािलमकता दी जाएर्ी।

- 9. Reservation for Physically Handicapped (PH) are of the following categories/शारीररक रू ि से निकलोंर् (PH) के नलए अरक्षण नम्मश्रेनणम ें र्े से हैं:
 - 1. OH Orthopedically Handicapped.
 - 2. LV Lower Vision.
- 10. Rejection of Application/आिर्दन स्ट्रकरना: The RTE CELL kodarma reserves its right to cancel the application under any of the following circumstances:

आरटीई स्ते बोकारो लम्फ्रलल्लितमें से लकसी भी प्रस्त्लिस् लितमें आवेदन को स्ट्रकरने का अलिकार सुरक्ष ति रिता है:

- If the needed documents are not submitted along with the printed application within the stipulated date. यलद लिनागररत लति के भीतर मल्मा आवेदन के साि आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं लक्ष्य जाते हैं
- 2. If the candidate does not report to the alloted schools by the stipulated date even though the documents have been deposited.

- यलद अभ्यी लिनागरत लतिल तक आवींलटत लक्दालयीं में दस्तावेज जमा करने के बावजूद रूपोटग नहीं करता है।
- 3. If the candidate do not produce all the relevant documents. यत्व उम्मीदवार सभी सींबींलित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है।
- 11. While applying, the applicant shall have to choose three schools according to their distance from school. After verification the school will be alloted by District Supritendent of Education Department. आवेदन करते समय आवेदक को लक्ष्यालयसे दूरी के अनुसार तीन लक्ष्यालयोों का चयन करना होर्ा। सत्यापन के बाद लजला लक्ष्मी अिक्षक द्वारा स्कूल ला आवींलटत लक्क्या जाएर्ा।
- 12. In the event of an applicant selected in the merit list shell have to report admission incharge and take admission in the alloted schools within 10 days from the date of list given. योग्यता सूची में चयलनत होने की ल्ल्स्िल्तमें, सूची की लतिल से 10 लदनीों के भीतर लक्दालय के प्रवेर प्रभारी को सूलवत करना होर्ा और अवींलटत लक्दालयीों में प्रवेर लेना होर्ा।
- 13. The date of admission as indicated in the merit list on the web page shall be final and failing which the applicant is liable to lose his candidature. वेब पेज पर मेररट सूची में दर्ागई ई प्रवेर् की लति औंलतम होर्ी और ऐसा न करने पर आवेदक अपनी उम्मीदवारी ि ो ने के लतए उत्तरदायी होर्ा।
- 14. The decision of District Education Department shall be final under all circumstances and is binding to the applicant.
 लजला लक्षा ि अक्षिक का लगगमसभी परस्ल्लस्िल्लगों में औंलतम एवीं आवेदक के ललए बाध्यकारी होरा।
- 15. The District Education Department reserves right to modify, alter and / or include any other Terms and Conditions that may be felt necessary. लजला लक्ष्मी औक्षक के पास आवश्यक समझे जाने वाले लकसी भी अन्य लनयम और तों को सींर्ोलित करने, बदलने और / या र्ालमल करने का अलिकार सुरुक्षतहै।
- 16. Jurisdiction/क्षेत्रानिकार: Any dispute pertaining to admission, or any matter as a student shall be subjected to the jurisdiction of the kodarma Court only. प्रवेर् से सींबींलित कोई भी लववाद, या एक छन्न के रूप में कोई भी मामला के वल बोकारों कोटग के अलिकार क्षेत्रके औन होर्ा।
- 17. Rationalization within or outside the alloted schools is prohibited. Whoever directly or indirectly commits, participates in, propagates ragging, shall, be punished which may extend to fine/ expulsion/ imprisonment. आवींलटत लक्दालयोों के भीतर या बाहर युल्लक्तकरणलक्त्रद्धहै। जो कोई भी प्रयक्षया अप्रयक्ष रूप से रैलर्ींर् करता है, उसमें भार् लेता है, रैलर्ींर् करता है, उसे दींलर्त लक्या जाएरा लजसे जुमागना/लनष्कासन/कारावास तक बढाया जा सकता है।

For any help, kindly call: 06542-235516 or email us on : rtecellkodarma@gmail.com करें: 06542-235516 या हर्े ईर्ले करें: rtecelkodarma@gmail.com

For any technical assistance call: 7250558111